

45

93

# इलाहाबाद विकास प्राधिकरण इलाहाबाद

अनुमति-पत्र

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल ४० प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु वर्ष यह न समझना चाहिये कि इस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इसके किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मालिकत्व या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

विम्बलिकित प्रत्ययों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती श्री सुनील कान्त शर्मा

पिता/पति का नाम श्री श्री सुनील कान्त शर्मा मुहल्ला श्री 9-एच/2-1 प्लॉट नम्बर 31. 9 25A/ 1 B 12000/ 25/ 1973 में तबसे से  
वर्तित स्थान पर जो प्राथम्य-पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, सचिव के विहित भवन विध के अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण करें।



श्री सचिव  
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण  
इलाहाबाद  
12-3-70

नोट :- 1—यह स्वीकृति केवल पांच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार नहीं किया जाता है तो उसे गिरवाया जा सकता है। जिसका पूर्ण व्यय भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना सचिव विकास प्राधिकरण को अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होती हो उसके निर्माणकर्ता को रुक दिया जायेगा अथवा इस प्रकार की यह अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा सचिव विकास प्राधिकरण द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनवाने वाले से 10 प्रतिशत संग्रह शुल्क के साथ वसूल किया जायेगा।

2—इस अनुमति-पत्र में सड़क, पानी या नाली पर बढ़ा कर प्रावधान जैसे कि पॉटिंग, बारखा, तोंड़िया, सीढ़ी, झाल नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस अनुरूप फिर से नये निर्माण का स्वीकृति चाहे उसके साथ नवगम से दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी।

3—मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पट्टी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अलावा पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण हक पर है) को हानि पहुँचे तो गृह स्वामी गृह तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को संतोष हो जाय, में कर देगा।

4—गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम (1956) (इं. वि. ए. ए. 1956) (विद्युत अधिनियम 1965) धारा 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिये। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।

5—प्रार्थी को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आवार होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।

6—यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पा जायेगी और किया गया निर्माण अतः स्वीकृत घोषित कर दिया जायेगा।

निर्माण की गई स्वीकृति रद्द समझी के अन्तर्गत कार्यवाही

(Consulting Firm) of Commercial Building at Site  
 No. 25A / 1, (Part of) of (Municipal Council) No. 25A / 1  
 (City) (District) (Province) (Country)  
 (Project - (Name) (Address) (City) (District) (Province) (Country))  
 (Contractor) (Address) (City) (District) (Province) (Country)  
 (Date) (Month) (Year)

**AREA STATEMENT**

No.	Description	Area (sq. m.)	Total Area (sq. m.)
1	Ground Floor	1200	1200
2	1st Floor	1200	2400
3	2nd Floor	1200	3600
4	3rd Floor	1200	4800
5	Roof	1200	6000
6	Other	0	6000

**SCHEDULE OF FLOOR & WINDOW AREA**

SN	FLOOR	AREA (sq. m.)	PERCENT (%)
1	GROUND FLOOR	1200	20.00
2	1ST FLOOR	1200	20.00
3	2ND FLOOR	1200	20.00
4	3RD FLOOR	1200	20.00
5	ROOF	1200	20.00
6	OTHER	0	0.00
TOTAL		6000	100.00

